बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या:- 5709679 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा0वि0-R-503/38/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181913)

श्री कुमार अश्विनी, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-101890), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्राथमिकता क्रमांक को तोड़ते हुए आवास का लाभ देने, विभागीय निदेश का उल्लंघन करने एवं उक्त अनियमितता के संबंध में अभिकरण कार्यालय, नवादा द्वारा बार-बार पृच्छा के बावजूद प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-703/अभि० दिनांक-18.05.2023 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया ।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-1957328 दिनांक-02.08.2023 द्वारा श्री कुमार अश्विनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री कुमार अश्विनी द्वारा दिनांक- 04.07.2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया । जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री कुमार अश्विनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-3438945 दिनांक-11.12.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, नवादा से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-1737/अभि० दिनांक-23.07.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्राथमिकता क्रमांक भंग करने की पूरी जबावदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता है, क्योकि उनके अनुमति के बिना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है । डी०आर०डी०ए० स्तर से आवास कर्मियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने का आरोप निराधार है एवं इसके माध्यम से वे अपनी नाकामी और लापरवाही को छिपाना चाहतें है। इनके द्वारा आवास सहायकों को समुचित ढंग से पंचायत का बंटवारा नहीं किया गया। एक आवास सहायक को 04 पंचायतों में कार्यभार दिया गया तो किसी को एक भी नहीं । यह उनका दूषित कार्यप्रणाली एवं मनमाने रवैये को परिलक्षित करता है, साथ ही श्री कुमार अश्विनी के विरूद्ध अय्याश होने का लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत होने का मंतव्य दिया गया है। 15वीं वित्त अंतर्गत नवनिर्मित प्रखंड/अंचल कार्यालय में आवश्यकतानुसार ग्रील, चैन गेट का अधिष्ठापन नामक योजना का नाम योजना पंजी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रहने और संबंधित योजना में कोई कार्य नहीं किये जाने तथा इसका कोई मापीपुस्त एवं अभिलेख संधारित नहीं रहने के बावजूद योजना की राशि संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है, जो इनके प्रशासनिक असफलता एवं सरकारी राशि गबन करने की नियत को स्पष्ट करता है ।

जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र, श्री कुमार अश्विनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा श्री कुमार अश्विनी के स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ।

समीक्षोपरांत श्री कुमार अश्विनी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार अश्विनी, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-101890), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत **"चेतावनी"** का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5709679 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा0वि0- R-503/38/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181913)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5709679 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा0वि0- R-503/38/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181913)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा एवं औरंगाबाद/ उप विकास आयुक्त, नवादा एवं औरंगाबाद /कोषागार पदाधिकारी, नवादा एवं औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री कुमार अश्विनी, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-101890), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, (औरंगाबाद) /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5709679 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा0वि0- R-503/38/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181913)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी